अनुदान संख्या 102 - लेखन सामग्री तथा मुद्रण
GRANT No. 102–STATIONERY AND PRINTING

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
स्वीकृत-	Voted–	151,50,00	138,11,16	–13,38,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			10,80,40
पूंजीगत:	**Capital:**			
स्वीकृत-	Voted–	35,00	2,41	–32,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			25,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2058"	Major Head "2058"				
लेखन सामग्री तथा मुद्रण	Stationery and Printing				
मू.	O.	14442.00	13456.27	13219.57	–236.70
पु.	R.	–985.73			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	708.00	613.33	591.59	–21.74
पु.	R.	–94.67			

(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "2058" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2058" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''लेखन सामग्री भंडार का क्रय तथा पूर्ति - लेखन सामग्री नियंत्रक'' - 341.37 लाख रु. की बचत (1457.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, भारत सरकार के मुद्रणालयों के कर्मचारियों को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम प्रदान किए जाने, क्रयादेशों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Purchase and Supply of Stationery Stores-Controller of Stationery" - saving of Rs.341.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1457.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, granting of special Voluntary Retirement Scheme to employees of Government of India Presses, delay in finalisation of purchase orders and reduction of provision at revised estimates stage.

(खा) ''सरकारी मुद्रणालय – मुद्रणालय'' - 1076.79 लाख रु. की बचत (8412.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, भारत सरकार के मुद्रणालयों के कर्मचारियों को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम प्रदान किए जाने, प्रशिक्षुओं को कम संख्या में नियुक्त किए जाने और विधिक प्रभारों तथा कंप्यूटरों/साफ्टवेयरों एवं अन्य उपभोज्य मदों की अधिप्राप्ति पर कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(B) "Government Presses - Printing Presses" - saving of Rs.1076.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8412.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, granting of special Voluntary Retirement Scheme to employees of Government of India Presses, engagement of less number of apprentices and less expenditure towards legal charges and on procurement of computers/softwares and other consumable items.

(III) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''सामान्य - निदेशन और प्रशासन - भारत सरकार के पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय'' के अंतर्गत 116.41 लाख रु. की बचत (708.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, कर्मचारियों को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम प्रदान किए जाने और चिकित्सा दावों एवं उपभोज्य मदों पर कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2202"- "General - Direction and Administration - Government of India Text Book Press"- saving of Rs. 116.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.708.00 lakhs) was due to non-filling up vacant posts, granting of special Voluntary Retirement Scheme to employees and less expenditure on medical claims and consumable items.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''2058'' - ''सरकारी प्रकाशन - प्रकाशन नियंत्रक'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 262.99 लाख रु. का अधिक व्यय (795.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा पुनर्विनियोग प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2058" - "Government Publications - Controller of Publications" - excess of Rs.262.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.795.00 lakhs) was due to non-approval of the re-appropriation proposal by the Ministry of Finance.